

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-02-26/27/2/2005
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

उपाध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में होने वाले व्यय हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

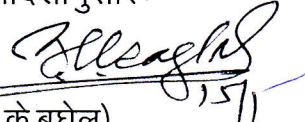
संदर्भ:- सचिव, न0नि0मं0का पत्र क्रमांक 11/52.08/27/न.नि.मं/16 दिनांक 13.01.2016

—00—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-02-26/27/2/2005 दिनांक 26/09/2008 द्वारा लोअर गोई परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में होने वाले व्यय हेतु राशि रुपये 360.37 करोड (रुपये तीन सौ साठ करोड सेत्तीस लाख मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2/ नर्मदा नियंत्रण मंडल की 52 वीं बैठक दिनांक 08.01.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद द्वारा शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में होने वाले व्यय हेतु राशि रुपये 545.36 करोड (रुपये पाँच सौ पैतालीस करोड छत्तीस लाख) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

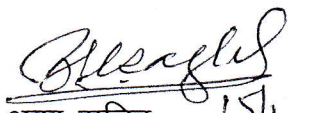

(एस.के.बघेल)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक एफ-02-26/27/2/2005
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. समस्त सदस्य नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
5. संभागायुक्त, इन्दौर म0प्र0।
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल।
7. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
8. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
9. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद।
10. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाइट पर दर्ज कराने हेतु अग्रेषित।
11. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग